31 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया होने की सम्भावना है। गुजरात में परियोजनाओं के लिए स्वीकृत सहायता से कुल 1400 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा और उससे 3.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया होंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को बैंक ऋण प्रदान करने में अनियमितताएं

82. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक बैंकों ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण प्रदान करने संबंधी अनुदेशों का समुचित रूप से पालन नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) सरकार को गत वर्ष इस संबंध में अनियमितताओं के कितने मामले प्राप्त हुए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली हिदायतों का पालन करें जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति को ऋण देने से संबंधित अनुदेश भी शामिल हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को दी जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को, अपने कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत हिस्सा समाज के कमजोर वर्गों को देने का आदेश दिया गया है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति भी आ जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में बैंकों से कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए उपयुक्त बैंक योग्य योजनाएं तैयार करने के वास्ते विशेष प्रयास किये जायें। तदनुसार वाणिज्यिक बैंक सरकार द्वारा स्पांसर किये गये कार्यक्रमों में भाग लेते हैं ताकि पता लगाये गये लाभार्थी अपने आर्थिक उन्नयन के लिये तैयार की गयी अर्थक्षम योजना को शुरू कर सकें। उपर्युक्त के अलावा, बैंक समाज के कमजोर वर्गों को उत्पादक कार्यों के लिये ऋण देने के तौर पर उनकी मदद करने के लिए स्वयं भी योजनाएं तैयार करते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को ऋण-सहायता देने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अगर कोई कमी ध्यान में आती है तो उसे दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सभी वाणिज्यिक बैंकों की बकाया रकमें बढ़ रही हैं जसा निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है :-

(खातों की संख्या लाख में) (रकम करोड़ रुपये में)

निम्नलिखित के अन्त तक	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कमजोर वर्ग		अनु० जाति/अनु०जनजाति	
	खाते	रकम	खाते	रकम	खाते	रकम
मार्च, 1990	39.46	4175	27.46	1196	10.67	472
मार्च, 1991	41.07	4639	28.93	1351	11.14	520

बैंकों द्वारा ऋण आवेदन सीधे ही आवेदकों अथवा किसी राज्य द्वारा प्रायोजित एजेंसी के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं और तदनुसार मंजूर किये जाते हैं। बैंकों द्वारा, जानबूझकर लापरवाही करने वाले, हिदायतों का अनुपालन न करने वाले तथा किसी कदाचार में कथित रूप से अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के विरुद्ध निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बैंकों को सूचना प्रणाली से उन कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिलती जिनके विरुद्ध आरोप हैं की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी है अथवा अपेक्षित है।

Searches by Income Tax Department

83. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the details of searches carried out by the Income Tax-Department during the past six months in the business premises of investment companies and share brokers in four metropolls;

(b) what is the value of unaccounted assets, found during the searches; and

(c) what action was taken under Direct Taxes Acts in each case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASEKHAR MURTHY): (a) and (b) During the period of six months from 1-8-92 to 31-1-93, the Income-tax Department searched the business premises of 32 groups of share brokers and Investment companies in the four metropolitan cities of Delhi, Bombay, Calcutta, and Madras.

In course of these searches, unaccounted assets worth Rs. 43.75 crores were found and seized.

(c) Necessary follow up actions as provided for under the Direct Taxes Acts have been taken up in each case on the basis of the seized materials.

Alternative Exchange rate formula for re-evaluating the debt

84. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI SHANKAR DAYAL SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Russia has sought an alternative formula to the exchange rate formula for re-evaluating the debt owed to it by India.

(b) if so, what is the alternative formula which has been evolved for purpose; and

(c) what is the total debt owed by India to Russia?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Several rounds of negotiations were held with the former USSR and present Russian Government on the issue of the Rupee-rouble exchange rate and its application to the repayment of India's rouble denominated debt to the former USSR. In the course of the negotiations, several approaches to the issue were explored. A final aggreement on this issue was concluded on 29-1-1993, during the recent visit of Russian President Yeltsin to India.

The agreement provides for the principal amount of the debt as on 1-4-1992 being converted from roubles to rupee using the exchange rate on 1-1-1990 as determined by the old 1978 Protocol (Rouble 1- Rs. 19.9169). The amount of the principal debtes as on 1-4-1992 would also be converted from roubles to rupees using the exchange rate on 1-4-1992 as determined by the 1978 Protocol (Rouble 1=Rs. 31.7514). The difference in the two amounts as calculated above would